

मैं तो समझता हूँ कि हिन्दू, मुसलमान और ईसाई सब मेरे भाई हैं। मैं इन्सानियत में विश्वास करता हूँ। कुछ भाई कहते हैं कि शिड्यूल्ड कास्टस और शिड्यूल्ड ट्राइब्स के लोग हिन्दु धर्म को छोड़ रहे हैं। उन को चिन्ता करने की जरूरत नहीं है। बीस बरस बाद उन को हिन्दु समाज नहीं मिलेगा। ये अठारह करोड़ शिड्यूल्ड कास्टस और शिड्यूल्ड ट्राइब्स न हिन्दु हैं और न मुसलमान। हरिजनों ने हिन्दुओं, मुसलमानों, सिखों और जैनों सब की टट्टी उठाई, उन के मुर्दा मवेशी उठाये, उन के जूते गांठे और उन की अनेक प्रकार की सेवा की। लेकिन फिर भी हम उन सब के लिए चूहड़े, चमार और अछूत हैं। हमारे साथ किसी ने भी इन्सानियत का सलूक नहीं किया। आज हमारे स्टुडेंटस और हिप्पियों को देख लीजिए न उन का धर्म है और न ईमान। जो पुराने घाघ हैं, जिन के दिमाग में धर्म की बात भरी हुई है, उन का तो राम नाम सत होने वाला है। अगली पीढ़ी अपने आप को न हिन्दु समझेगी और न मुसलमान। कुछ लोग दुखी होकर धर्म-परिवर्तन करना चाहते हैं। हिन्दु समाज को समझना चाहिए कि इसका कारण क्या है।

प्रधान मंत्री जी ने बहुत कुछ किया है और उन के दिल में करने की भावना है। इस मंत्रालय को उन के अधीन करने की बात की जाती है। वैसे तो वह सब कुछ हैं। हाथी के पैर में सब का पैर। वह कर्तव्यार्थी हैं। "त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या च

द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं हि मम देव देवा।" हमारे लिए तो सब कुछ बही हैं। इस लिए मैं कहना चाहता हूँ कि वह कोई सही रास्ता ढूँढ कर शिड्यूल्ड कास्टस और शिड्यूल्ड ट्राइब्स की प्राबलम्भ को हल कर दें। मेरे दिल में उनके लिए बहुत बड़ी जगह है। पंडित जी ने बड़े बड़े काम किये, लेकिन प्रधान मंत्री जी ने जो कुछ किया है, वह किसी ने नहीं किया। मैं चापलूसी नहीं करता हूँ, लेकिन खरी खरी बात मैं सुना दिया करता हूँ। उन से यही उम्मीद है कि वह इस समस्या का समाधान करेंगी। समाज के माथे पर कलक के इस टीके को वही मिटा सकती हैं। कुछ लोग हमको खत्म करना चाहते हैं, लेकिन अगर हम नहीं होंगे, तो वे लोग क्या करेंगे? मैं प्रधान मंत्री जी से कहना चाहता हूँ कि यही शरीबों का टोला है, जो उन की जय बोलता है, आज काम करने वाला भूखों मरता है, और निकम्मा आदमी ऐश करता है। जो दूसरों का घर बनाता है, उस का अपना घर नहीं है। दूसरों के घर में दीया जलाने वाले के घर में दीया नहीं जलता है। यह कितनी विडम्बना है। आज आवश्यकता इस बात की है कि आर्थिक, सामाजिक और धार्मिक क्रान्ति कर के इन्सानियत पर आधारित समाज बनाया जाये। जब तक जातिवाद रहेगा, तब तक कल्याण नहीं होने वाला है।

**प्रधान मंत्री, परमण्डल ऊर्जा मंत्री, इल-
 कट्टामिक्ल मंत्री, गृह मंत्री, सूचना और
 प्रसारण मंत्री तथा अंतरिम मंत्री (श्रीमती
 इन्दिरा गांधी) :** दो एक दिन से यह चर्चा
 यहां चल रही है और कई भाषण मैंने भी

[श्रीमती इन्दिरा गांधी]

घपने कमरे से सुने हैं। माननीय सदस्यों ने अधीरता प्रकट की है कि शिड्युलड कास्ट्स और शिड्युलड ट्राइब्स के जो कार्यक्रम हैं, वे बड़ी धीमी रफतार से चल रहे हैं। यह नहीं है कि कुछ नहीं हुआ है, काफी कुछ हुआ है। लेकिन इस में जरा भी सन्देह नहीं है कि जो होना चाहिए, जो हम करना चाहते हैं, उस के मुकाबले में रफतार बहुत ही धीमी रही है।

यहां पर कुछ कठोर शब्द भी कहे गये हैं। मैं माननीय सदस्यों की भावना समझ सकती हूँ। उनकी चिन्ता और दुख में भी महसूस करती हूँ। यह प्रश्न कोई नया प्रश्न नहीं है। एक बहुत पुराना प्रश्न है, पुरानी समस्या है, गम्भीर समस्या है जटिल समस्या है और विशाल समस्या है। माननीय सदस्य ने प्रेम और भाव से कहा कि मैं कर दूँ या कोई और कर दे। यह कहने की बात है। इस में सन्देह नहीं है कि बहुत कुछ सरकार कर सकती है। लेकिन लोगों की भावना में परिवर्तन लाने का काम सरकार नहीं कर सकती है, और कोई व्यक्ति नहीं कर सकता है। किस तरह से हम इस स्थिति का सामना करें, किस तरह यह परिवर्तन लायें, यह एक राष्ट्रीय समस्या है। यह कोई एक तरफ़ा प्रश्न नहीं है। यह एक पार्टी या सरकार का प्रश्न नहीं है। यह एक राष्ट्रीय समस्या है।

हम ने अभी एक भाषण सुना। माननीय सदस्य ने बताया कि समाज की भावना कैसी है और उस का क्या प्रभाव बहुत से लोगों पर पड़ रहा है, धर्म का विरोध या धर्म

बदलने की भावना और इस प्रकार की बातें। सब इस को एक राष्ट्रीय समस्या मान कर सोचें कि कैसे मिल कर उस का समाधान हो सकता है, तब जा कर कुछ होगा।

इसकी कोशिश आज से नहीं है। कांग्रेस तो शुरू से ही इस कोशिश में लगी रही है लेकिन इस के बावजूद लोगों की भावना में परिवर्तन नहीं आया, तो इसके मानें हैं कि हमारी कोशिश काफी नहीं थी और हमारे काम में कमी रही होगी अतएव हम सब को मिलकर बहुत ज्यादा कोशिश करनी है कि गांधी में, शहरों में, दफतारों में, सारे समाज में इस भावना में परिवर्तन आये।

सब से दर्दनाक बात तो यह है, जो थोड़े थोड़े दिन बाद समाचार-पत्रों में, या दूसरी तरह, अत्याचार की खबरें आती हैं। कभी घर जलाने और कभी दूसरे अन्याय और अत्याचार की खबरें आती हैं। कोई शब्द नहीं मिलते हैं कि किस तरह उन की निन्दा की जाये। पिछली दफा एक घटना पर यहां चर्चा हुई थी। उसके बाद मैंने सब मुख्य मंत्रियों को लिखा था कि इस मामले में उन को विशेष रूप से जागरूक और होशियार रहना है और यह कोशिश करनी है कि ऐसी बात नहो पर अग्रद्वो जाये, तो उस पर तुरन्त कुछ न कुछ कार्यवाही प्रारम्भ करनी चाहिए और किसी ऊंचे अफसर को जांच के लिय भेजना चाहिए। मैंने यह भी कहा कि मुख्य मंत्रियों को स्वयं इस में रुचि लेनी चाहिये।

मेरा इरादा है कि मैं फिर से मुख्य मंत्रियों से इस बारे में चर्चा करूँ कि कैसे हम इस को रोक सकते हैं चाहे कितनी भी पुलिस हो, कितनी भी हम देखभाल करें। जब तक पड़ोसियों के मन में यह भावना नहीं होगी कि हम ऐसी घटना न होने दें तब तक हमारे शिड्यूल्ड कास्ट व ट्राइवल भाइयों को तसल्ली नहीं होगी। माननीय सदस्य ने ठीक कहा कि ऐसी घटनाएं भारत के समाज पर कलक है जब तक यह भावना हर जगह नहीं होगी तब तक एकाएक काम को देखना किसी भी सरकार के लिए यदि असम्भव नहीं तो बहुत ही मुश्किल है।

इसीलिए मैं यह कहती हूँ कि यह कोई एक पार्टी का प्रश्न नहीं है। यह काम सब को मिलकर करना है और यह भी देखना है कि ऐसे अत्याचार कहीं भी न हो। हमारे जो हरिजन भाई और बहन हैं या ट्राइवल भाई हैं उन को खुद भी इस तरह की कुछ अपनी बिजिलेंस रखनी चाहिए जिससे कि जब भी उन्हें लगे कि उनके विरुद्ध भावना फैल रही है तो तुरन्त उस की इत्तिला संबंधित अधिकारियों को दे दें। कभी-कभी तो ऐसी घटनाएं एकदम से हो जाती हैं- कोई झगड़ा हुआ, गुस्सा चढ़ा और बात बढ़ गई पर कभी-कभी कुछ प्रचार पहले से होता है, कुछ न [कुछ] गलतफहमी फैल जाती है जिससे कि मतभेद या गुस्सा बढ़ता जाता है समाज में और एक दिन जैसे फोड़ा सा फटता है उसी तरह से घटना हो जाती है। तो अगर यह आहिस्ता आहिस्ता हुआ है तो जरूर इसकी जानकारी बहाने के रहने वालों को

मिल सकती है और उसकी तुरन्त इत्तिला दे सकते हैं।

अब हमारी सब की यह भी एक राष्ट्रीय जिम्मेदारी है कि जो प्रगति होनी चाहिए वह कैसे तीव्र गति से हो? कौन कौन कार्यक्रम हैं? अभी इधर हाल में शायद कोई कान्फरेंस हुई थी। उस में उन्होंने दो बात बताई थी। और हां, एक यह भी बात है कि करीब करीब जितनी रिपोर्ट शिड्यूल्ड कास्ट और शोड्यूल्ड ट्राइवल कमिश्नर की आई है उन्होंने उन में इस बात पर ध्यान दिलाया है कि कोई कार्यक्रम जो होता भी तो सब से गरीब हैं या जिन की सब से ज्यादा जरूरत है उन तक लाभ नहीं पहुंचता है चाहे हरिजन का भी हो चाहे ट्राइवल का हो इस योजनापर हम इस पर खास तौर से ध्यान देना चाहते हैं कि जो ज्यादा बँकबर्द हैं उन तक यह कार्यक्रम पहुंच सके और उन के लिए सुझाव खोज निकाला जाय।

17 hrs.

श्रीमती सहोबरा बाई राय (सागर) : एक तो बहन जी कानून बनाया जाय क्योंकि गांवों में जो झगड़ा शोड्यूल्ड कास्ट का होता है, वह इस बात को लेकर होता है कि जो मवेशी मरते हैं उन को हरिजन उठाते हैं और वे नहीं उठाते हैं तो गांवों में मार पीट और कत्ल होती हैं। एक कानून बना दिया जाए कि उस के लिए अलग से ठेका होगा और हरिजन नहीं उठाएंगे क्योंकि मवेशियों के बारे में रोज मारपीट होती है और झगड़ा होता है।

श्रीमती इन्दिरा गांधी: यह हमारी बहन ठीक बात कह रही है। ये सब काम जो हैं ये मालूम नहीं क्यों गन्दे काम समझ जाते हैं। ये सब काम आवश्यक काम हैं। लेकिन यह कोई कारण नहीं है कि एक ही वर्ग उसको करे। अगर काम समाज के लिये करना है तो कोई भी उसको कर सकता है। जैसा बहन ने कहा, यह हमारे उत्तर प्रदेश में एकाध जगह हुआ है कि वहां के हरिजनों ने कहा कि हम यह काम नहीं करेंगे और उसके बाद वह ठेके पर गया। लेकिन अब उसमें एक कठिनाई और है कि जिस समय बेरोजगारी है उस समय अगर ठेके पर दूसरे लोग करें तो वहींके, एक गांव के बारे में मुझे मालूम है कि वही के हरिजनों को उससे तकलीफ हुई और उन्होंने ने फिर हल्ला मचाया कि यह दूसरे को ठेके पर क्यों दे दिया ? .. (श्रवधान) ... सहोदरा बाई जी, आप की बात तो मैं समझ गई। यही हम कह रहे हैं कि समाज की विचारधारा को जब तक हम पलटेंगे नहीं तब तक यह नहीं होगा। गांधी जी की यही कोशिश थी कि कोई काम गन्दा नहीं है। उनके आश्रम में जो रहता था उस को सब काम करने होते थे। यह नहीं था कि हरिजन एक काम करे और दूसरा दूसरा काम करे। यही हमारी कोशिश होनी चाहिये कि चाहे स्कूल हो, कालेज हो, कोई संस्था हो, सब लोग मिल कर कुछ भी काम हो तो उस काम को करें। इस तरह की भावना बनाएं कि किसी तरह यह काम गन्दा नहीं है। समाज के लिये बहुत आवश्यक काम है लेकिन जैसा मैंने कहा कि कोई कारण नहीं है कि जैसे हमारे यहां जातिवाद में अलग अलग था कि फलां जाति यह काम करे और दूसरी जाति

दूसरा काम करे यह जो चीज है यह समाज के लिये बुरी चीज है। सब को मौका मिलना चाहिये कि जो काम कर सके और करना चाहें वह करे और जो आवश्यक काम है उसके लिये कुछ न कुछ प्रबन्ध होना चाहिए कि वह मिल कर हो। यह न हो कि एक ही जाति के लोग करें। इससे तो मैं पूरी तरह से आप से सहमत हूं। लेकिन इस सब के लिये पूरे जोरों से एक प्रचार की आवश्यकता है और शिक्षा की आवश्यकता है यानी स्कूल की और किताब की शिक्षा नहीं बल्कि राजनीतिक सामाजिक शिक्षा की आवश्यकता है ताकि लोग इन बातों को समझें। जैसा मैंने कहा यह हमारी जो दूसरी शिक्षा होती है उसी के द्वारा हम यह नई विचारधारा फैलाने की कोशिश कर सकते हैं और आवश्यक कदम उठा सकते हैं।

अब जो हमारे पिछड़े हुए भाईयों के हक हैं, अधिकार हैं उनके प्रति तो उनको जागरूक होगा चाहिए, उनको कांशसनस होनी चाहिए कि ये हमारे अधिकार हैं, हमें मिलने चाहिए लेकिन संग संग में समझती हूं कि कुछ हमें रचनात्मक प्रकार से कोई रास्ते ढूँढ़ने चाहिए कि किस तरह से ये अधिकार मिले जिस में झगडे न हों लेकिन तेजी से आगे भी बढ़ सकें और खाली यह जिम्मेदारी जो हरिजन है उसी पर ही न हों हरिजन पर ही यह जिम्मेदारी नहीं रख सकते हैं यह तो समाज के जितने वर्ग हैं उनको उस जिम्मेदारी को भौठना है, इस काम में रुचि लेनी है और हमको इस

काम में उनको सम्बन्धित करना है क्योंकि ये जितने भारतीय नागरिक हैं उन सभी का यह कर्तव्य है कि यह बात हमारे समाज से हटे। कभी जो भी कारण रहे हों जातिवाद के लेकिन इस समय वह कारण नहीं हैं। समाज बदला है, भारत बदला है, दुनिया बदली है और जोरों से बदल रही है तो हम एक ऐसी पुरानी चीज को क्यों पकड़े रहें जिस ने हमें हमेशा कमजोर किया एक तो वह बुरी है क्योंकि इससे लोगों को दुख होता है, कष्ट होता है, यह भी एक बहुत बड़ा कारण है इसके बुरे होने का, लेकिन इसके आलावा भी इस देश को इस जातिवाद ने जकड़ कर पीछे रखा है, इस कारण भी यह एक बहुत बुरी चीज है इस में जरा भी सन्देह नहीं है कि यदि हमें इससे जोरों से लड़ेंगे नहीं तो यह देश कभी भी महान नहीं हो सकता। चाहे हम थोड़ी बहुत गरीबी कम कर सकें, दूसरे हमें जो लोगों के कष्ट दिखते हैं, चाहे घर का कष्ट हो, चाहे अनाज का, चाहे मंहगाई का, ये चीजें दूर भी हो जाएं और अगर जातिवाद रहता है, कोई भी अपने को दूसरे से ऊंचा समझता या कोई दूसरे को नीचा सकझता है, क्योंकि नीचा समझना भी उतना ही बुरा है जितना ऊंचा समझना बुरा है, जब तक यह भावना रहती है तब तक यह देश कभी भी महान नहीं हो सकता है। कभी भी यह उतना शक्तिशाली नहीं हो सकता जितना हम इसे बनाना चाहते हैं, वह एकता और मजबूती की शक्ति इसमें नहीं आ सकती है। इसलिए यह बहुत ही जरूरी बात है जिस पर हम सब को ध्यान देना है।

हमको इन प्रश्नों को, इन समस्याओं को एक दृष्टिकोण से देखना है जिस में खाली हम दंड की बात न देखें कि क्या सजा मिले, क्या दंग मिले, अगर दंड की आवश्यकता हो उससे शिक्षकना नहीं चाहिए, वह दंड भी देना चाहिए। बहन ने कहा कि कानून बनाओं। अगर कानून की आवश्यकता तो हमें उससे डरना नहीं चाहिए, जरूर कानून बनाना चाहिए लेकिन यह समस्या कानून बनाने से हल नहीं हो सकती।

श्री क० एस० चावड़ा : दिक्कत तो यह है कि इम्प्लेमेंटेशन नहीं होता है।

श्रीमती इन्दिरा गांधी : यह सच है कि इम्प्लेमेंटेशन पूरी तरह से नहीं होता है लेकिन अगर इम्प्लीमेंटेशन हो भी तब भी कानून से यह समस्या दूर नहीं होने की है। इस के लिए तो वातावरण विचारधारा सब के रहन सहन के तरीके, इन सब चीजों में परिवर्तन आना चाहिए। अब कानून तो कई हैं और शायद दूसरे भी बनाने पड़ें, और बनाने पड़ेंगे तो जरूर बनाये जाएंगे, पर हमको पार्जिटिव, सकारात्मक तरीके ढूँढने चाहिए न कि नैगेटिव। एक सक्रिय काम सब को मिल कर करना है क्योंकि हिंसा या धर्म या जाति के नाम से जो पक्षपात होता है वह कहीं भी बुरा है, भारत में हो, हमारे समाज में हो, तो बुरा है, और दूसरे देशों में जो होता है, वह भी उतना ही बुरा है और हम हमेशा उससे लड़ते आये हैं। किसी भी कारण ऐसा बरताव किसी के प्रति नहीं

[श्रीमती इन्दिरा गांधी]

होना चाहिए। इस में हमारा जो मास मीडिया है चाहे प्रखबार हो, रेडियो हो या दूसरे हों, यह बहुत इसमें काम कर सकते हैं और इनको इस तरफ ध्यान देना चाहिए। मैंने जैसा अभी कहा कि अब हमारी कोशिश यह है कि जो कार्यक्रम बने वह सीमित नहीं रहें। कभी ऐसा होता है कि कोई कार्यक्रम बनता है तो उसी वर्ग के जिन लोगों की जरा ज्यादा शक्ति होती है, ज्यादा जानकारी होती है, वे उस कार्यक्रम से ज्यादा लाभ उठा सकते हैं तो हमको विशेष रूप से यह देखना है कि यह न हो पाये और सबसे जिन की जरूरत ज्यादा है, उनकी ही ज्यादा मदद हो सके।

यहां पर जो हमारे समाज कल्याण के मंत्री हैं, उन्होंने आप सब से ठोस सुझाव मांगे हैं, जिस से कि पंचवर्षीय योजना में वे उन को शामिल कर सकें। कुछ बात तो कही गई है, पहले भी उन बातों का सुझाया गया है— जैसे पीने के पानी का प्रबन्ध नहीं है, मकान बनाने के लिए जमीन का प्रश्न है, शिक्षा का प्रश्न है, पीपिष्ठक आहार के विस्तार का कार्यक्रम है, झुग्गी-झोंपड़ियों का प्रश्न है, उनमें सुधार होना चाहिए और यदि हो सके तो उनको हटा कर अच्छे घर देने चाहिए— ये सब तो कार्यक्रम हैं ही, लेकिन जैसा मैंने कहा— कुछ महत्वपूर्ण प्रगति तो इन वर्षों में हुई है, चाहे नौकरी के सम्बन्ध में हो, शिक्षा के सम्बन्ध में हो। शिक्षा के लिए जितना रुपया पहले रखा जाता था, वह हर साल बढ़ता चला गया है और अब 10 करोड़ रुपये तक पहुंच गया है.....

श्री श्री ० पृष्ठ ० चावडा: सेंटर ने अब यह मामला स्टेट पर डाल दिया है। पोस्ट-मैट्रिक स्कालरशिप्स 1968-69 तक सेंटर देता था, लेकिन अब यह मामला स्टेट को दे दिया गया है, सेंटर ने देना बन्द कर दिया है, इसको आप फिर से देना शुरू कीजिये।

श्रीमती इन्दिरा गांधी : इस बारे में मैं चाहूंगी कि विरोधी दलों के साथ बात की जाये, क्योंकि बहुत से प्रश्न ऐसे हैं जो राज्य सरकारों की जिम्मेदारी है, इसलिये उनमें देखना होगा कि हम कितना दखल दे सकते हैं, सब पार्टियां राजी हों तब यह हो सकता है.....

SHRI K. S. CHAVDA: NDC decided against the will of Chief Ministers on this.

श्री साधूराम : सेंटर पहले देता था, लेकिन बाद में स्टेटों पर छोड़ दिया गया।

श्रीमती इन्दिरा गांधी : मुझे ठीक याद नहीं है, जब तक मुझे याद है, राष्ट्रीय विकास परिषद् में यह निर्णय हुआ था, जिसके सदस्य सब प्रांतों के मुख्य मंत्री होते हैं। इसका कोई कारण होगा, उनका हमेशा यह कहना होता है कि इसमें काम तो हमको करना होता है, आप वहां से क्यों देख-रेख करते हैं।

श्री इराम्भू नाथ: रुपया सेंटर से जाता है, लेकिन पूरा प्रयोग नहीं होता है, बल्कि मिसयूज होता है।

श्रीमती इन्दिरा गांधी : इसी लिये मैं कह रही हूँ कि अगर सब विरोधी दल हमारा साथ दें तो यह हो सकता है। बरला को

भी स्टेट कह सकती है कि पखाल वे रहे हैं । आज कई जगहों पर हमारी सरकारें हैं, लेकिन हर वक्त ऐसा नहीं होता है । यह चीज उस वक्त उठी थी जब राज्यों में दूसरी सरकारें थीं, मैं इसको बाद में देखूंगी । लेकिन यह बात माननी होगी कि रकम बढ़ी है और संग-संग जिनको इसका लाभ मिलता है, उनकी संख्या भी बहुत ज्यादा बढ़ी है । इसी वजह से यह पूरा नहीं पड़ रहा है, उनको पूरा नहीं हो पाता है, [जिन को मिलता है ।

यहां जो बहस हुई है उसमें यह मांग उठी है कि इस रकम को बढ़ाया जाना चाहिये और हम समझते हैं कि यह ठीक मांग है । मैं इस वक्त तो नहीं कह सकती कि कितना बढ़ेगा, क्योंकि इसके लिये कई मंत्रालयों से बात करनी होती है, लेकिन इसको हम अवश्य बढ़ायेंगे । यह जो चर्चा यहां पर हो रही है, ठीक समय पर हो रही है, क्योंकि इसी समय हमारी पंचवर्षीय योजना विचारधीन है, इस वक्त इस चीज को करने में आसानी होषी ।

कुछ प्रश्न अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के हैं, दूसरों के भी हैं, लेकिन कुछ विशेष प्रश्न हैं—जैसे शिक्षा का प्रश्न है । शिक्षा का प्रश्न इस वक्त ऐसा है जो सभी के लिये चिन्ताजनक प्रश्न है । सब तरफ से । विद्यार्थियों की मांग है कि शिक्षा में परिवर्तन होना चाहिये, ऐसी शिक्षा होनी चाहिये जिसमें नौकरी आसानी से मिल सके, देश के प्रति देश-प्रेम बढ़े, समाज में राष्ट्रीय भावना धाये, एकता की, बराबरी की भावना शिक्षा के द्वारा फैले—

इन सब चीजों पर हमारे मिनिस्टर साहब विचार कर रहे हैं । इसमें मुश्किल यह है—कई देशों का हमारा अनुभव है और कुछ ऐसा विचार बढ़ रहा है कि सबको यूनिवर्सिटी में जाने की आवश्यकता नहीं है । दूसरे देशों में केवल वे लोग जो अनुसन्धान करना चाहते हैं, या खुद शिक्षक बनना चाहते हैं या ऐसा कुछ काम करना चाहते हैं, वे ऊंची शिक्षा लेते हैं । दूसरे लोग तो जो काम करना चाहते हैं, स्कूल के बाद सीधे उसकी ट्रेनिंग में चले जाते हैं और जब वहां से निकल कर आते हैं तो जो काम उनको करना होता है, उस के लिये तैयार हो कर आते हैं । यहां पर जो ग्राम शिक्षा मिलती है, उससे बेरोजगारी भी बढ़ी है और सबको नौकरी भी नहीं मिल पाती है । लेकिन अब हमें एक समस्या और है—जिन को ये सुविधायें अभी तक मिल नहीं सकी हैं, वे लोग कहते हैं कि अभी तक तो डिग्रीज मिल नहीं सकीं क्योंकि शिक्षा का मौका नहीं मिला, अब जब मौका मिलने लगा है तो कहते हैं कि डिग्री न लो । इन सब चीजों पर आप सब से बात कर के रास्ता निकालना होगा कि क्या करें । कोई भी परिवर्तन हम करना चाह तो समाज के लिये लाभदायक है, लेकिन अगर उससे इस तरह की भावना बने कि पक्षपात हो रहा है, तब वह चीज लाभदायक नहीं रहेगी, क्योंकि उससे उल्टी भावना पैदा होगी और उसका उल्टा असर होगा । इस लिये जो नये विचार इन सब चीजों के बारे में आ रहे हैं, उन पर सब से मिल कर बातचीत करके रास्ता निकालना है जिससे किसी के मन में यह भावना पैदा न हो कि

[श्रीमती इन्दिरा गांधी]

उनके बिहद कोई चीज की जा रही है, क्योंकि यह हमारी मंशा बिल्कुल नहीं है। हम तो दुनिया के दूसरे देशों को जो अनुभव हुआ है, उसका लाभ उठाते हुए और हमारे जो अनुभव हैं उन के आधार पर परिवर्तन करना चाहते हैं। मैंने बहुत बार कहा है कि स्वतन्त्रता के बाद एक भूल हुई है कि हम ने अपनी शिक्षा का ढांचा नहीं बदला। मुझे मालूम है कि उस समय इतने शंभट थे कि हम इस में पड़ नहीं सकते थे, देश की आजादी को बनाये रखने का प्रश्न था। हम इस को दोष तो नहीं कह सकते, लेकिन इसमें संदेह नहीं है कि उस समय अगर इस को बदल देते तो हमारी आज की बहुत सी कठिनाइयां और समस्यायें इतनी जटिल नहीं होतीं। लेकिन प्रश्न यह है कि अब हम इस को कर सकते हैं या नहीं? जहां भी मैं जाती हूं और देखती हूं, विद्यार्थी आते हैं और मांग करते हैं कि इस के लिए कुछ न कुछ कीजिए, लेकिन फिर भी यह चीज तभी हो सकती है जब सब मिल कर अपने विचार दें और इसको एक राजनीतिक शगड़ा या आन्दोलन का प्रश्न न बनायें।

मुझे कुछ विशेष तो नहीं कहना है— वरिष्ठ यही कहना चाहती हूं कि इन प्रश्नों के साथ हमारी पूरी हमदर्दी है और जैसा मैंने कहा है— बहुत कुछ होना चाहिए था, वह इन वर्षों में नहीं हुआ। लेकिन एक बड़ी बात यह हुई है कि एक जागृति फैली है, क्योंकि मैं खुद जानती हूं कि बड़े ही वर्ष पहले जब बात करते थे तो जो लोग शहर में रहते थे, उनके अन्दर ही जागृति थी, वे

लोग ही जानते थे कि उन के क्या अधिकार हैं। आदिम जाति क्षेत्रों में आज भी बहुत से लोग हैं जिन को आज भी यह नहीं मालूम कि उनके क्या हक हैं और क्या अधिकार होने चाहिये। अब यह जागृति फैली है— यह एक अच्छी चीज है, पहला कदम है— जिस से यह कार्यक्रम और तेजी से फैलेगा। लेकिन एक बात हमें देखनी है— यहां आप लोगों में जागृति तो है, आप जागरूक हैं, लेकिन आप एक बहस के लिए क्यों ठहरे रहते हैं। ये ऐसी बातें हैं कि प्रतिदिन जब भी कोई चीज ध्यान में आये, कोई सुझाव सामने आये तो प्रतिदिन बताना चाहिए— कि यह बात ऐसे हो सकती है या नहीं, हम समझते हैं कि हो सकती है तो इसको कीजिए। फौरन चीज को सामने लाने में मैं समझती हूं कि अमल ज्यादा अच्छा होगा। रिपोर्ट आती है, आगे भी आयेगी, बहस होती है, आगे भी होगी, लेकिन जो बात आपको मालूम है या आप के जिले में क्या होता है, अपने अपने चुनाव क्षेत्र में जा कर देखें और बतायें कि क्या क्या सुधार हो सकते हैं। केन्द्र सरकार हो या राज्य सरकार हो, उन से हमें क्या सहायता मिल सकती है और क्या हम स्वयं कर सकते हैं, इस दृष्टिकोण से आप इस प्रश्न को देखें तो मैं समझती हूं कि बहुत सी छोटी छोटी चीजें जो अटकवाव डालती हैं वे ठीक हो सकती हैं। जैसा आप ने कहा कि कार्यक्रम होता है, लेकिन रुपये का ठीक से इस्तेमाल नहीं होता है, इस चीज को आप अपने चुनाव क्षेत्र में तुरन्त देख सकते हैं। जिस कार्यक्रम का एलान हुआ है, वह आप के क्षेत्र में आरम्भ हुआ है या नहीं, ठीक तरह से

चल रहा है या नहीं—यह जिम्मेदारी अगर सब मिल कर उठायेंगे, तब मैं समझती हूँ कि यह काम और तेजी से बढ़ सकता है।

श्रीमती सहोबराबाई राय : गवर्नमेंट सर्वेन्ट्स समय पर रुपये का इस्तेमाल नहीं करने देते, रुपया समय पर नहीं देते हैं।

श्रीमती इन्दिरा गांधी : जिस समय कोई भ्रष्टकाये, उसी समय आ कर बतलाइये। 6 महीने बाद बतलायेंगे तो उस से लाभ नहीं होगा। उसी समय बतलाइये कि हम यह काम कर रहे थे, लेकिन फलां भ्रादमी ने भ्रष्टका दिया, हम उसको तुरन्त देख सकते हैं। सारे हिन्दुस्तान की जिम्मेदारी आप नहीं ले सकते हैं। लेकिन अपने चुनाव क्षेत्र की जिम्मेदारी ले सकते हैं।

श्री क० एच० चाबडा : लेकिन क्या पार्लियामेंट यह काम करेगी।

श्रीमती इन्दिरा गांधी : पार्लियामेंट को नहीं करना है, लेकिन आप पार्लियामेंट के मेम्बर है, आप की जिम्मेदारी अपने चुनाव क्षेत्र के लोगों के प्रति है या नहीं? आप की कांस्टीचूएन्सीज में हरिजन या ट्राइबल्ज हैं या नहीं— इस लिए आप उस को देखें। मैं यह नहीं कर रही हूँ कि हमारी जिम्मेदारी नहीं है या राज्य सरकार की जिम्मेदारी नहीं है— मैं यह नहीं कर रही हूँ।

मैं कह रही हूँ उनकी बहुत मद मिलेगी इसको करने में उनको बहुत आसानी होगी अगर प्रोफेस पार्लियामेंट के सदस्य भी इस जिम्मेदारी को समझे और बतायें कि क्या क्या कठिनाइयां हैं। कभी कभी एक जगह पर जो कार्यक्रम चलता है वह ठीक से चलता है लेकिन हो सकता है कि दूसरे चुनाव क्षेत्र में वैसा कार्यक्रम नहीं चाहिए, उसमें कुछ परिवर्तन होना चाहिए। जो लोग उसको देखते हैं वही उसको बता सकते हैं।

श्री हुकम चन्द कछवाय (मुरेना) : विरोधी दल के सदस्य जहाँ पर जीत गए हैं वहाँ पर कोई काम ही नहीं होता है। मैं अपने क्षेत्र की बात यहाँ पर बता रहा हूँ।

श्रीमती इन्दिरा गांधी : नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। जो भी कार्यक्रम है वह सभी जगह के लिए होते हैं लेकिन एक साथ सभी जगह शुरू नहीं हो सकते हैं। लेकिन यह सही नहीं है कि विरोधी दलों के सदस्यों के क्षेत्रों में काम नहीं होता है। (ब्यवधान)...

श्री हुकम चन्द कछवाय : मैं आपको बिल्कुल सच बता रहा हूँ। वहाँ पर काम होता ही नहीं है। एक पंचवर्षीय योजना में यदि वहाँ पर काम शुरू हुआ और बाद में वहाँ पर विरोधी दल का सदस्य जीत गया तो वहाँ पर काम बन्द कर दिया जाता है।

श्रीमती इन्दिरा गांधी : नहीं यह बात नहीं है।

[श्रीमती इन्दिरा गांधी]

तो हमको सभी को मिलकर देखना है कि यह काम तेजी से हो। यह जो दुबधरी कहानियां हम सुनते हैं, हम ऐसा वातावरण बनायें, ऐसी हालत बनायें और ऐसी तेजी से काम करें कि ऐसी बटनार्ये न षटें और यह काम और भी तेजी से चले। और जैसा मैंने अभी कहा कि उसमें जो रुकावटें हैं उनके लिए आप हमसे मिलें तब हम देखें कि वह रुकावटें कैसे दूर हो सकती हैं।

श्री इयान नन्दन मिश्र (बेगुसराय) : क्या सरकार कोई ऐसा माडल नहीं बना सकती जिससे चुतर्मुखी विकास इन अनुसूचित और पिछडी जातियों का और हरिजन भाडयों का हो, उस माडल को हम नेशनल कोमसेन्सस के आधार पर कुछ प्रबन्धों में इमलीमेंट करें ? आप एक माडल बनाकर दीजिए जिसमें शिक्षा के क्षेत्र में जो करना है, उद्योग के क्षेत्र में जो करना है, भूमि वितरण के क्षेत्र में जो करना है—सभी चीजों को मिलाकर एक तस्वीर हो। ऐसा माडल बनायें और उसपर अमल करें।

श्रीमती इन्दिरा गांधी : विचार अच्छा है श्यामनन्दन जी का।... (व्यवधान)... शिक्षा के क्षेत्र में कुछ माडल स्कूल बनाए लेकिन कितना ही छोटा प्रश्न हो वह इस देश में एक विशाल प्रश्न बन जाता है क्योंकि इतनी बड़ी जनसंख्या यहां की है। बड़ी मुश्किल है कहना कि इस जगह काम हो और दूसरी जगह न हो।

श्रीमती मंगा देवी (बोहनलाल नंज) :

मैं यह जानना चाहती हूँ कि रिजर्वेशन गवर्नमेंट के है डिपार्टमेंट में है या कुछ डिपार्टमेंट्स में ही है।

श्रीमती इन्दिरा गांधी : मेरा तो खयाल है हर डिपार्टमेंट में है।

SHRI SUBODH HANSDA (Midnapore): Mr. Deputy-Speaker, Sir, I think, this is the first time the Prime Minister has intervened in this debate.

SHRIMATI INDIRA GANDHI: I intervened every time there was this debate.

PROF. MADHU DANDAVATE (Rajapur): First time he was present in the House!

SHRI SUBODH HANSDA: The Prime Minister said number of points in regard to the implementation of the various programmes under the Five-year Plan by which members of the Scheduled Tribes and Scheduled Castes will be benefited.

One thing I could not but point out and it is this. Today, while we are discussing the Report of the Commissioner for Scheduled Castes and Scheduled Tribes on the floor of the House, the Prime Minister has been frank enough to admit that the pace of progress made in this direction, for the welfare of these people, has been very slow. It is true, and this has been pointed out by us on the floor of the House a number of times that the pace of progress is very slow. But the most disappointing feature of this report is, as my hon. friend Shri R. D. Bhandare has pointed out, that the post of the commissioner has been reduced to that of a mere clerk. He has no powers to go through all the complaints of injustice made by the Scheduled Castes and Scheduled Tribes people, but he has to depend upon the report of the officers or the Government Departments.